



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062026-273411
CG-DL-E-12062026-273411

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2923]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948

No. 2923]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2026

का.आ. 3029(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2619 तारीख 13/06/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में NH965 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 59.000 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 04/07/2025 को "थे इंडियन एक्सप्रेस [इंग्लिश]", 04/07/2025 को "लोकमत (मराठी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में NH965 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 59.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सोलापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मोहोळ					
गांव का नाम: पोखरपुर					
1	118	निजी	झाय	0.045	अजिंक्य जरेश पाटील, छाया जरेश पाटील, संदिप जरेश पाटील, भागवत चांगदेव पाटील, गजानन भागवत पाटील, राहुल उत्तम वागदरे, संगिता समाधान पाटील, किरण अंकुश पाटील, अतुल केराप्पा ढोंगरे, बळवंत बळीराम आगलावे, अम्रपाली किरण पाटील, पोखरापूर वि.का.से.सो., एच डी एफ सी बँक शाखा सोलापूर 118
2	119	निजी	झाय	0.045	गोरख बलभिम दळवे, मच्छिंद्र बलभिम दळवे, संगीता मच्छिंद्र दळवे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

					जिल्हा परिषद सोलापूर, पोखरापूर वि का से सो इ प, समता बि शे स पतसंस्था पोखरापूर, बँक ऑफ इंडिया शाखा मोहोळ. 119
Total				0.09	

[फा. सं. NHAI/PIU/PUNE/PALKHI MARG/LA/2017/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th June, 2026

S.O. 3029(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2619 Dated:13/06/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH965 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 59.000 in the district of SOLAPUR in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” dated 04/07/2025, “Lokmat (Marathi)” dated 04/07/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH965 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 59.000 in the district of SOLAPUR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Mohol					
Village: Pokharapur					
1	118	Private	Dry	0.045	Ajinkya Jaresh Patil, Chhaya Jaresh Patil,

					Sandeep Jaresh Patil, Bhagwat Changdev Patil, Gajanan Bhagwat Patil, Rahul Uttam Vagdare, Sangita Samadhan Patil, Kiran Ankush Patil, Atul Kerappa Dhongre, Balwant Baliram Aglave, Amrapali Kiran Patil, Pokharapur V.K.S.S.O., HDFC Bank Branch Solapur 118
2	119	Private	Dry	0.045	Gorakh Balbhim Dalve, Machhindra Balbhim Dalve, Sangita Machhindra Dalve, Chief Executive Officer Zilla Parishad Solapur, Pokharapur V Ka Se So I P, Samata Bi She S Pat Sanstha Pokharapur, Bank of India Branch Mohol. 119
Total				0.09	

[F. No. NHAI/PIU/PUNE/PALKHI MARG/LA/2017/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director